न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 554/2022

वाद पत्र अं0 धारा 88,53 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. प्रकाश
2. कृष्ण
3. भूप सिंह कूकना
4. महावीर

पुत्रगण रूपराम
जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादीगण

बनाम्

1. रूप राम पुत्र श्योकरण
2. गोरा देवी
3. रोशनी
4. माया देवी
5. गुड्डी देवी

पुत्रीया रूपराम
जाति जाट निवासी इन्द्रगढ़
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री राजेश बुडानिया –वकील वादीगण
2. श्री मनीराम सहू – वकिल प्रतिवादीगण 1 ता 5

निर्णय **दिनांक :–**

वादीगण प्रकाश वगैरा ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन के तहत दिनांक 21.10.2022 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि वादीगण व प्रतिवादी एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य हैं वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 ता 5 सगे भाई बहिन हैं। प्रतिवादी सं. 1 वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 ता 5 के पिता हैं।

वादीगण की वंशावली निम्न प्रकार हैं:–

रूपराम

प्रकाश कृष्ण भूप सिंह कूकणा महावीर गोरा देवी रोशनी माया गुड्डी

कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक नं. 16 एमजेडी खाता सं. 79/52 जं.सं. 2071–2074 में 5.

018है. व इसी चक के खाता सं. 78/46 में 0.759 है. कृाि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं उक्त वादीगण व प्रतिवादीगण की सयुक्त परिवार की कृाि भूमि हैं। कुल कृाि भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चक नं. 16 एमजेडी के खाता सं. 79/52

पं.नं.	मुं.नं.	किला नं.
119/177	12	14/0.253है.,15/1/0.228है.,15/2/0.025है., 16/1/0.228है.,16/2/0.025है.,17,24/0.253है.प्रं., 25/1/0.228है.,25/2/0.025है.
119/178	14	4/1/0.202है.,4/2/0.025है.,5/1/0.228है., 5/2/0.025है.,5/3/0.025है.,6,7,14 ता 17,23,24/ 0.253है.प्रं.
119/179	25	3/1/0.228है.,3/2/0.025है.
120/178	15	1/2/0.042है.,10,11/0.253है.प्रं.,20/2/0.169है.
		कुल 5.018है. मय. गैर. मु.

चक नं. 16 एमजेडी के खाता सं. 78/46

पं.नं.	मुं.नं.	किला नं.
119/177	12	20,21/0.253है.प्रं.
119/178	14	1/1/0.202है.,1/2/0.025है.,1/3/0.026है.
		कुल 0.759 है. मय गैरमु.

कि वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णित भूमि जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं। उक्त भ्मि प्रतिवादी सं. 1 को विरासतन अपने पिता श्योकरण से प्राप्त हुई हैं। इसलिए वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 ता 5 का बहिब का हक व हिस्सा जन्म से बनता हैं।

प्रतिवादी सं. 1 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि दूसरे खाता में प्राप्त कर ली हैं व प्रतिवादी सं. 2 ता 5 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि क परित्याग बहिब के हिसाब से कर लिया हैं इसलिए वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि का वादीगण अपने नाम बहिब का खातेदार काश्तकार घोिात करवाने के अधिकारी व दावेदार हैं। यह कि वादीगण ने वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण ने अच्छी मंदी अनुसार घरू–विभाजन कर लिया था मुताबिक घरू–विभाजन वादीगण व प्रतिवादीगण के कोई विवाद नहीं किन्तु रकबा साझा में होने के कारण सीववट व रकम राज होने के कारण विवाद बना रहता है। इसलिए वादीगण मुताबिक घरूविभाजन अपना खाता अलग कायम करवाने के अधिकारी व दावेदार है। मुताबिक घरू विभाजन वादीगण को निम्न भूमि आई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(क) वादी सं. 1 प्रकाश के हक व हिस्सा की भूमिः–

चक नं. 16 एमजेडी के खाता सं. 79/52

पं.नं.	मुं.नं.	किला नं.
119/178	14	4/4/0.0134है.,4/2/0.025है. गैर.मु.खाला, 4/3/0.026है. गैर.मु.रास्ता,5/5/0.0513है., 7/2/0.0942है.,14,17,23,24/0.253है.प्रं.
119/179	25	3/1/0.228है.,3/2/0.025है.गैर.मु. खाला
		कुल 1.4002है. मय गैर. मु.

(ख) वादी सं. 2 कृष्ण के हक व हिस्सा की भूमिः–

चक नं. 16 एमजेडी

पं.नं.	मुं.नं.	किला नं.
119/177	12	14/0.253है.,15/1/0.228है.,15/2/0.025है., 16/1/0.228है.,16/2/0.025है.गैर.मु. खाला, 17/0.253है.,24/1/0.1484हैं.,25/1/0.228है., 25/2/0.025है. गैर.मु. खाला
119/178	14	5/4/0.0368है.
		कुल 1.4502 है. मय. गैर. मु.

(ग) वादी सं. 3 भूप सिंह कूकना के हक व हिस्सा की भूमिः–

चक नं. 16 एमजेडी

पं.नं.	मुं.नं.	किला नं.
119/177	12	20,21/0.253है.प्रं.,24/2/0.1046है.
119/178	14	1/1/0.202है.,1/2/0.025है.गैर.मु. खाला, 1/3/0.026है. गैर.मु. रास्ता
120/178	15	1/2/0.042है.,10,11/0.253है.प्रं.,20/2/0.0147है.
		कुल 1.4262 है. मय. गैर. मु.

(घ) वादी सं. 4 महावीर के हक व हिस्सा की भूमिः–

चक नं. 16 एमजेडी

पं.नं.	मुं.नं.	किला नं.
119/178	14	4/1/0.189है.,5/1/0.1141है., 5/2/0.025है.गैर.मु. खाला,5/3/0.026है. गैर.मु. रास्ता, 6/0.253है.,7/1/0.1587है.,15,16/0.253है.प्रं.
120/178	15	20/3/0.1543है.
		कुल 1.4261 है. मय. गैर. मु.

कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादीगण को वादपत्र की चरण सं. 5 के अनुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल–मटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादीगण की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है। कि प्रतिवादी सं. 6 को लण्ड होल्डर होने के पक्षकार बनाया गया है इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। की वादपत्र बाबत घोषणा व तकसीम खाता का है जो 2 रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है व अन्दर मियाद है व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

अतः वादपत्र प्रस्त्त कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें।– कि वादीगण का खाता वादपत्र की चरण सं. 5 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग कायम की जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने सहमति का ज्वाब दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 6 का ज्बाव दावा पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। साक्ष्य में वादी स 2 ने शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्शाया गया। तथा चक नं. 16 एम.जे.डी के खाता सं. 79/52 व इसी चक के खाता सं. 78/46 नहरी कृषि भूमि जो प्रदर्श 1 व 2 हैं। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीगण अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण का खाता वादपत्र की चरण सख्या 5 के अनुसार खातदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कायम कर रकम राज अलग कायम की जावे क्योकी उक्त भुमि वादीगण व प्रतिवादीगण की विरासतन प्राप्त भूमि है प्रतिवादी के वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस में वादी के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादी स 2 ओर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 व 2 प्रदर्श किये गए व विरासतन इन्तकाल का अवलोकर किया। बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज 1 व 2 का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। प्रश्नगत भूमि विरासतन भूमि हैं इसलिए वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः वाद वादीगण उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता हैं कि वाद पत्र की चरण सख्या 5 के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकर घोषित कर इसी अनुसार खाता अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग कायम की जावे पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

नोटः– बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जाव।

निर्णय आज दिनांक 22/03/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 554/2022

वाद पत्र अं.धारा :– 88/53 आर.टी.ए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. प्रकाश
2. कृष्ण
3. भूप सिंह कूकना
4. महावीर

पुत्रगण रूपराम
जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादीगण

बनाम्

1. रूप राम पुत्र श्योकरण
2. गोरा देवी
3. रोशनी
4. माया देवी
5. गुड्डी देवी

पुत्रीयां रूपराम
जाति जाट निवासी इन्द्रगढ़
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

दिनांक :–

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानियां वकील वादीगण व श्री मनीराम सहू वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि कि वाद वादीगण वादपत्र की चरण स 5 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी अनुसार खाता अलग कायम किया जाता है वाद की चरण स 5 निम्न प्रकार है।

(क) वादी सं. 1 प्रकाश के हक व हिस्सा की भूमिः–

चक नं. 16 एमजेडी के खाता सं. 79/52

पं.नं. मुं.नं. किला नं.

119 / 178	14	4 / 4 / 0.0134है.,4 / 2 / 0.025है. गैर.मु.खाला,
		4 / 3 / 0.026है. गैर.मु.रास्ता,5 / 5 / 0.0513है.,
		7 / 2 / 0.0942है.,14,17,23,24 / 0.253है.प्रं.
119 / 179	25	3 / 1 / 0.228है.,3 / 2 / 0.025है.गैर.मु. खाला

कुल 1.474है. मय गैर. मु.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(ख) वादी सं. 2 कृष्ण के हक व हिस्सा की भूमिः–

चक नं. 16 एमजेडी

पं.नं.	मुं.नं.	किला नं.
119 / 177	12	14 / 0.253है.,15 / 1 / 0.228है.,15 / 2 / 0.025है.,
		16 / 1 / 0.228है.,16 / 2 / 0.025है.गैर.मु. खाला,
		17 / 0.253है.,24 / 1 / 0.1484हैं.,25 / 1 / 0.228है.,
		25 / 2 / 0.025है. गैर.मु. खाला
119 / 178	14	5 / 4 / 0.0368है.

कुल 1.4502 है. मय. गैर. मु.

(ग) वादी सं. 3 भूप सिंह कूकना के हक व हिस्सा की भूमिः–

चक नं. 16 एमजेडी

पं.नं.	मुं.नं.	किला नं.
119 / 177	12	20,21 / 0.253है.प्रं.,24 / 2 / 0.1046है.
119 / 178	14	1 / 1 / 0.202है.,1 / 2 / 0.025है.गैर.मु. खाला,
		1 / 3 / 0.026है. गैर.मु. रास्ता
120 / 178	15	1 / 2 / 0.042ह.,10,11 / 0.253है.प्रं.,20 / 2 / 0.

0147है.

कुल 1.4262 है. मय. गैर. मु.

(घ) वादी सं. 4 महावीर के हक व हिस्सा की भूमिः–

चक नं. 16 एमजेडी

पं.नं.	मुं.नं.	किला नं.
119 / 178	14	4 / 1 / 0.189है.,5 / 1 / 0.1141है.,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

			5 / 2 / 0.025है.गैर.मु. खाला,5 / 3 / 0.026है. गैर.मु. रा
			6 / 0.253है.,7 / 1 / 0.1587है.,15,16 / 0.253है.प्रं.
120 / 178	15		20 / 3 / 0.1543है.

कुल 1.4261 है. मय. गैर. मु.

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे

नोटः– बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल..... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक . .....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22 / 03 / 2023 जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया